upinfoagra@gmail.com
Phone:0562-2420012

54 ए, पुरानी ईदगाह कालोनी
आगरा–282001

आगरा, 11.06.2019 91/90

जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न।

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 ने आम आदमी को सशक्त किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का उद्देश्य शासन एवं प्रशासन तंत्र के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश।

–मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0, श्री जावेद उस्मानी

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 श्री जावेद उस्मानी ने आज आयुक्त सभागार में जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। आयुक्त श्री अनिल कुमार ने मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 एवं राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 श्री राजीव कपूर का स्वागत किया।

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त ने आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का उद्देश्य शासन एवं प्रशासन तंत्र के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही तय करना तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मूल आधार पारदर्शिता, जवाबदेही व भ्रष्टाचार मुक्त शासन का होना है। सुशासन की दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का सफल कियान्वयन एक प्रभावी कदम है। उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन व आम आदमी के मध्य जो शक्ति संतुलन था, उसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 ने आम आदमी के पक्ष में किया है। आर0टी0आई0 एक्ट लागू होने अर्थात 2005 के पूर्व सूचना प्राप्त करना आसान नहीं था। सूचना एक शक्ति है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक कान्तिकारी अधिनियम है।

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त ने उपस्थित सभी जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों से कहा कि आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना, उनका महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को गर्व के साथ करें, इसे समस्या न समझें। उन्होंने कहा कि बतौर जनसूचना अधिकारी उनका प्रथम व प्रमुख दायित्व है, आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना। केवल विधिक आधार पर ही सूचना देने से मना किया जा सकता हैं, मनगढ़ंत आधार पर नहीं। सूचना न देने का बहाना न खोजा जाय।

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के कियान्वयन को सरल व सुगम बनाने हेतु उ0प्र0 सूचना अधिकार नियमावली–2015 को लागू किया गया है, जिससे जनसूचना अधिकारी अपने दायित्वों का सुगमता पूर्वक निर्वहन कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जनवरी 2016 से सभी जनसूचना अधिकारियों को दो–दो बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है, अब तीसरी बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि जनसूचना अधिकारी अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री राजीव कपूर ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 प्रथम अधिनियम है, जो सिविल सोसाइटी से बना है। इस अधिनियम में समयबद्धता व सम्बन्धित की जवाबदेही तय की गयी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि क्या करना है। प्रशासनिक कार्य समय से न करने पर अर्थ दण्ड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सभी जनसूचना अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यालय में अभिलेखों को व्यवस्थित रखें, जिससे आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को देने में कोई समस्या न आये। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के सफल कियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि अधीनस्थ

Scanned by CamScanner

अधिकारियों / कर्मचारियों पर न छोड़कर वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर निस्तारण की मासिक समीक्षा हो। उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का खुशी से निस्तारण करें, इसे बोझ न समझें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए आयुक्त श्री अनिल कुमार ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सभी जनसूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 तथा उ0प्र0 सूचना अधिकार नियमावली–2015 के विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी हो सकें तथा वे सुगमता पूर्वक प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर सकें। स्टेट रिसोर्स पर्सन श्री राजीव मैथानी ने उपस्थित सभी जनसूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 व उ0प्र0 सूचना अधिकार नियमावली–2015 के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत रूप से जानकारी दी।

अपर आयुक्त प्रशासन श्री साहब सिंह ने मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, को स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा कार्यक्रम के अन्त में अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाल मंजूलता ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन श्री साहब सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाल श्रीमती मंजू लता, सिटी मजिस्ट्रेट श्री प्रभाकान्त अवस्थी सहित जनपद के जनसूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय प्राधिकारीगण उपस्थित थे।

निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

भवदीय

डा0 राजेन्द्र यादव
उप निदेशक, सूचना
आगरा।

सम्पर्क सूत्र
रवि कुमार जायसवाल
अपर जिला सूचना, अधिकारी
मो0 8840119230
नवीन कुमार सिंह
प्रचार सहायक
मो0 7678400885

Scanned by CamScanner